कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 22/09/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 21.09.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 155/2024 धारा 109, 352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड के दौरान अभियुक्त की निशादेही पर 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस की बरामदगी से धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी ।

मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय गाजीपुर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक- 21.09.2024 को उ0नि0 श्री लालता प्रसाय द्वारा मय हमराह कर्म0गण हे0का0 राजेन्द्र कुमार दूबे व का0 विनय नायक मय वाहन सरकारी नम्बर UP61G-0434 मय चालक पी0आर0डी0 उमेश राम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत विजय सोनकर पुत्र राजेश सोनकर निवासी ग्राम धरवाँ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष दिनांक 10.09.2024 जो कि जरिए अधिवक्ता मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय गाजीपुर के समक्ष आत्म समर्पण किया था तथा मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजय सोनकर उपरोक्त का रिमाण्ड बनाकर जिला कारागार गाजीपुर भेजा गया था। जिसके क्रम में उ0नि0 श्री लालता प्रसाद यादव द्वारा मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त का जिला कारागार गाजीपुर में जाकर अभिकथन अंकित किया गया तो अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 मे अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त तमन्चा कारतूस को श्रीगंज रेलवे लाईन की पटरी के किनारे स्थित झाड़ झंखाड़ मे छिपने व बरामद कराने की बात कही गयी थी। जिसके क्रम में उ0नि0 लालता प्रसाद यादव मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त विजय सोनकर उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाकर अभियुक्त के निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक अदद तमन्चा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर चालू हालत में बरामद कर लिया गया है तथा बाद बरामदगी अभियुक्त विजय सोनकर उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त विजय सोनकर उपरोक्त को सकुशल पुनः जिला कारागार गाजीपुर दाखिल किया गया है।

बरामदगी का विवरण- एक अदद तमन्चा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामदगी का स्थान- ग्राम श्रीगंज रेलवे लाईन के पटरी के दक्षिणी तरफ झाड़ झंखाड़ में।

<u>02. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.9.2024 को रात्रि में थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 338/2015 धारा 286 भादवि0 से सम्बन्धित वारंटी कुट्टी उर्फ मुस्ताक नट पुत्र जलील उर्फ जाल नट निवासी जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता -

कुट्टी उर्फ मुस्ताक नट पुत्र जलील उर्फ जाल नट निवासी जलालाबाद थाना दुल्लहपुर गाजीपुर जनपद गाजीपुर

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-</u>

जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर दिनाकं 21.9.2024 समय 12.25 बजे

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर